बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्
(जैव विविधता अधिनियम–2002 के अंतर्गत गठित सरकार का एक स्वायत्त सांविधिक निकाय)
Bihar State Biodiversity Board
(An Autonomous and Statutory Body of the Government constituted under Biological Diversity Act. 2002)

कार्यालय आदेश

सं०– 03, दिनांक– 15/01/2025

श्री प्रताप कुमार, जन्म तिथि– 06.09.1964, (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार में प्रशाखा पदाधिकारी के पद से सेवानिवृत) को बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् में संविदा पर नियोजन हेतु स्वीकृत **वरीय कार्यालय सहायक (Senior Office Assistant)** के पद (प्रसंग– बिहार सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग के ज्ञापांक (प्रसंग– बिहार सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग के पत्रांक– 02/वन्यप्राणी–13/2017–1708 (ई०)/प०व०ज०प०, दिनांक 03.12.2019) पर विहित चयन प्रक्रिया में अनुशंसा के आलोक में संविदा पर अनुबंध सेवा हेतु नियुक्त किया जाता है।

2. इस संविदा नियुक्ति के शर्त एवं उपबंध निम्नवत हैं:–

(i) यह संविदा सेवा केवल **वरीय कार्यालय सहायक (Senior Office Assistant)** पद के लिए मान्य होगा।

(ii) यह संविदा सेवा श्री प्रताप कुमार के योगदान की तिथि से 3 वर्ष अथवा उनकी आयु 65 वर्ष पूरा होने जो पहले हो, तक प्रभावी रहेगी; परन्तु नियोजित सहायक के कार्यो की समीक्षा प्रत्येक वर्ष की जायगी एवं उनका कार्य सम्पादन संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर संविदा सेवा को पहले भी समाप्त किया जा सकेगा।

(iii) संविदा नियोजित सेवानिवृत्त कर्मी के मासिक मानदेय की राशि उन्हें प्राप्त होनेवाले अंतिम वेतन तथा सेवानिवृत्त के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महँगाई भत्ता के योगफल की राशि में सें पेंशन की राशि तथा सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महँगाई के राहत की राशि के जोड़ को घटाने के बाद आकलित राशि होगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नहीं होगी। मासिक मानदेय की यह राशि उक्त सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी के संविदा में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।

(iv) वरीय कार्यालय सहायक के पद का मुख्यालय पटना है एवं यह स्थानान्तरणीय नहीं होगा।

(v) संविदा नियोजित वरीय कार्यालय सहायक को राज्य सरकार द्वारा घोषित राजपत्रित अवकाश एवं सरकारी सेवकों का अनुमान्य आकस्मिक अवकाश के अलावे वर्ष में प्रत्येक माह की सेवा पर दो दिन की दर से उपार्जित अवकाश अनुमान्य होगा, परन्तु अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के लिए नगदी भुगतान देय नहीं होगा।

(vi) उपर्युक्त के अलावे इस संविदा नियोजन के आधार पर वैसी कोई अन्य हकदारी या सुविधा अनुमान्य अथवा विचारणीय नहीं होगी जो नियमित सरकारी सेवा में देय होती है, सिवाय उनके जो सेवानिवृत्त सराकारी सेवकों के संविदा सेवा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक संख्या 3/एम0–63/2013 सा0प्र0 10000 दिनांक 10.07.2015 उल्लेखित हैं।

(vii) इस संविदा नियोजन के आधार पर भविष्य में नियमित नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(viii) किसी प्रकार के आरोप की सूचना प्राप्त होने की स्थिति में नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।

(ix) यह नियोजन संविदा अवधि (Contract Period) समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की अग्रिम सूचना देकर या नियोजक द्वारा एक माह की संविदा राशि एकमुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी, परन्तु किसी प्रकार के कदाचार संबंधी आरोप के तथ्य पाये जाने पर संविदा नियोजन को तत्काल प्रभाव से, बिना एक माह की अग्रिम सूचना संबंधी अपेक्षा के, समाप्त किया जा सकेगा।

(x) संविदा अवधि (Contract Period) के दौरान सम्बन्धित नियोजित कर्मी अन्य किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं रहेंगे और ना ही उनके द्वारा किसी अन्य प्रकार के लाभ प्राप्त करने हेतु अनुबंध किया जायेगा।

3. योगदान के समय सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्राप्त कर समर्पित करेंगे।

4. संविदा पर नियोजन के पश्चात् दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपरोक्त शर्त्तें मान्य होगी। नियोजित व्यक्ति उपरोक्त एकरारनामा के किसी भी शर्त्त का उल्लंघन करेंगे तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

5. उपरोक्त कर्मी अपना योगदान सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना को दिनांक 31.01.2025 से पूर्व समर्पित करेंगे। अंतिम तिथि के उपरान्त योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि किसी अभ्यर्थी को पूर्व नियोक्ता को पद त्याग करने से पूर्व एक माह की पूर्व सूचना देनी हो तो वे योगदान की तिथि बढ़ाने हेतु अनुरोध कर सकते हैं।

15/1/25

(एस० चन्द्रशेखर)
सचिव,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।